


क्या आप  
विशेष स्वास्थ्य सेवाओं के लिए  
लंबी दूरी की यात्रा करते/ती हैं?



यदि आप एक सप्ताह में 200 किलोमीटर या एक तरफ़ा 100 किलोमीटर से अधिक यात्रा करते/ती हैं, तो आप यात्रा और आवास की लागतों के लिए वित्तीय सहायता का दावा करने के योग्य हो सकते/ती हैं।

  
2/4

यह जानने के लिए कि क्या आप  
इसके लिए योग्य हैं,



आज ही अपने/नी  
सोशल वर्कर या हेल्थकेयर टीम

से पूछें



1800 478 227

पर फ़ोन करें

3/4

या



[iptaas.health.nsw.gov.au](http://iptaas.health.nsw.gov.au)

पर जाएँ

# दूरवर्ती मरीज़ यात्रा और आवास सहायता योजना (IPTAAS)(इपटास)

